फर्द अहकाम

ठाकुरप्रसाद बनाम नाथू व अन्य

04/2022 वाद

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/1/22	अधिवक्ता डिगेश चौधरी के द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 91 एवं 188 R.T Act का पेश किया गया। रिपोर्ट पटवार हो चुकी है प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) CPC का स्वीकार किया जाता है उक्त प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड से जाकर पत्रावली तामील की जाकर दिनांक 14/2/22 को पेश हो	
	14/2/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौर/अवकाश पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 18/4/22 को पेश हो।	
	18/4/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौर/अवकाश पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20/6/22 को पेश हो।	
	20/6/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौर/अवकाश पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 14/7/22 को पेश हो।	
	25/7/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौर/अवकाश पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 8/9/22 को पेश हो।	Dismissed [illegible]
	27/7/22	व.प. उप/० अ० का आवेदन शीघ्र सुनवाई का पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 द्वारा सहमति जाहिर करने पर प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली आज SSC	प्रति. 1 व 2 राजीनामा फल नम्बर शो. कुल F.D

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:25:20 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

न्यायालय उपख

: 04 / 2022

1. प्रभूदयाल
2. मन्नी देवी
3. मखनी दे
समस्त

1. ना
2. सु
3.
4.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		दिनांक को तलब की गयी अधिवक्ता ~~अभयकुमार~~ प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की ओर से सहमति का जवाब दावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा राजीनामा मय नक्शा ट्रेस व पेश कर राजीनामे अनुसार दावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है निर्णय राजीनामे अनुसार पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा व नक्शा ट्रेस डिक्री का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। sd

उपखण्ड अधिकारी
जिला जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:25:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

न. 04/2022

उनवान

1. प्रभूदयाल पुत्र श्री नानू,
2. मन्नी देवी पुत्री श्री नानू,
3. मखनी देवी पुत्री श्री नानू

समस्त जाति जाट, निवासीयान ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. नानू पुत्र श्री लूणा,
2. सुरेश पुत्र नानू,

समस्त जाति जाट, निवासीयान ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
4. उप–पंजियक महोदय, चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अधीन धारा 88, 53, 89 एवं 188 राज0 टिनेन्सी एक्ट

निर्णय दिनांक 03.08.2022

पत्रावली पेश हुई। वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम जैतपुरा, पटवार हल्का जैतपुरा, तहसील चौमूँ, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 240 के हाल खसरा नम्बर 1854 रकबा 0.44 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.44 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं, जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की पैतृक कब्जे काश्त की भूमि रही हैं, जिसकी वर्तमान में खातेदारी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज चली आ रही हैं। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता नानू पुत्र लूणा का राजस्व रिकार्ड में सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज हैं। उक्त आराजीयात ही वाद हाजा में विवादग्रस्त हैं, जिसे की वाद पत्र की अग्रिम मदों में भूमि विवादग्रस्त से सम्बोधित किया गया हैं।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का सजरा खानदान निम्न प्रकार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:25:20 IST
Reason: SelfAttested

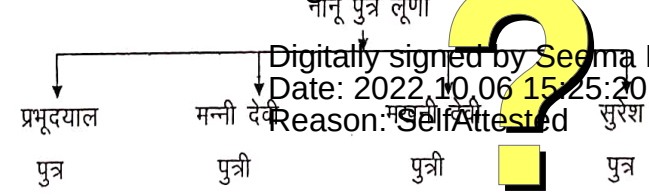

उक्त भूमि विवादग्रस्त जो कि पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व वादीगण प्रतिवादी संख्या 2 के दादा स्व० लूणा पुत्र रूडा की खातेदारी भूमि रही थी, जिनकी मृत्यु उपरान्त उपरोक्त भूमि खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई, चूँकि उक्त वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
चौमू, जिला जयपुर

गण की पैतृक भूमि हैं, इसलिये उनका उक्त भूमि में जन्म से ही बाई बर्थ हक अधिकार रहा हैं।

उक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त का जो कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता नू पुत्र लूणा की पैतृक आराजीयात रही हैं, तथा वादीगण के पिता व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। चूँकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चली आ रही हैं, जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 से मिलीभगत कर वादीगण को उनके हक अधिकार से महरूम करने की गरज से बेचान, हस्तान्तरित करने एवं खुर्द बुर्द करने पर आमदा हैं, जिसका की कतई भी कोई विधिक अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को प्राप्त नहीं रहा हैं। क्योंकि उक्त विवादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक सम्पत्ति रही हैं, तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत वादीगण का उक्त विवादित आराजीयात में जन्म से ही बाई बर्थ अधिकार निहित रहा हैं। उक्त विवादित आराजीयात में वादीगण प्रत्येक का 1/5, 1/5, 1/5 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण 3/5 हिस्सा निहित हैं। जिस पर वादीगण मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी कारित नहीं की गई थी।

यह कि अब भूमि विवादग्रस्त की बाजारू कीमतों में वृद्धि होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मन में बदनियति आ गई हैं तथा वे भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमदा हो रहे हैं, इसी उद्धेश्य की पूर्ति हेतु दिनांक 01–01–2022 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 भूमि विवादग्रस्त पर अपने साथ दीगर व्यक्तियों को लेकर आये तथा आते ही भूमि विवादग्रस्त की नाप जोक करने लगे, जब वादीगण ने नाप जोक करने का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने वादीण को कहा कि तुम्हारा उक्त भूमि विवादग्रस्त पर कोई लेना देना नहीं हैं, क्योंकि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं, इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आपस में मिलीभगत कर भूमि को बेचान, हस्तान्तरण करके खुर्द बुर्द करके रहेगें, तथा वादीगण को उनके कब्जे काश्त से बेदखल करके रहेगें। जबकि उक्त आराजीयात वादीगण की पैतृक भूमि हैं तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत वादीगण के जन्म से ही उक्त आराजीयात में वादीगण का हक व हिस्सा निहित हो गया था।

वादीगण को कानूनन हक अधिकार प्राप्त हैं कि वादपत्र की चरण संख्या नम्बर 2 में वर्णित विवादग्रस्त आराजीयात में प्रत्येक के 1/5, 1/5, 1/5 संयुक्त रूप से वादीगण के 3/5 हिस्से बाबत अपने पक्ष में खातेदारी हक अधिकारों की घोषणा करवाये एवं तदनुसार भूमि विवादग्रस्त का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विधिवत तकासमा करवा कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:25:20 IST
Reason: SelfAttested .

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू जिला जयपुर

[illegible] के हिस्से का पृथक से पर्चा लगान कायम करवायें एवं राजस्व रिकार्ड में वादीगण के हक हिस्से की इन्द्राज दुरूस्ती करवायें।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सालिम डिकी किया जाकर वादीगण को निम्नलिखित अनुतोष प्रदान किये जावें:–

(क) वाद पत्र की मद नम्बर 2 में वर्णित विवादग्रस्त आराजीयात के बाबत वादीगण का वाद पत्र की मद नम्बर 2 में वर्णित विवादग्रस्त आराजीयात में प्रत्येक के 1/5, 1/5, 1/5 संयुक्त रूप से वादीगण के 3/5 हिस्से बाबत वादीगण के पक्ष में खातेदारी हक अधिकारों की घोषणा की जाकर, तदनुसार भूमि विवादग्रस्त का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विधिवत तकासमा किया जाकर वादीगण के हिस्से का पृथक से पर्चा लगान कायम किया जावें एवं राजस्व रिकार्ड में वादीगण के हक हिस्से की इन्द्राज दुरूस्ती की जावें।

(ख) वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 भूमि विवादग्रस्त वर्णित मद नम्बर 2 वाद पत्र में वादीगण के कब्जे काश्त में, उपयोग –उपभोग में, उपजों को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी, बाधा, रूकावट, व्यवधान, मजाहमत या मदाहखलात पैदा नहीं करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त का बिना विधिवत तकासमा करवाये बिना किसी दीगरान् को प्रतिवादी संख्या 1 बेचान, हस्तान्तरण, रहन, गिरवी, बक्शीश, आदि करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त में पुख्ता या खाम निर्माण कार्य करें, ना ही निर्माण सामग्री डाले, ना ही भूमि विवादग्रस्त को कृषि से अकृषि भूमि में परिवर्तित करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त में नींव, खड्डे आदि खोदे, ना ही भूमि विवादग्रस्त में उगे हरे वृक्षों को काटे, छांगे, ना ही वादीगण को उनके कब्जे काश्त से जबरिया लठ्ठ के बल पर बेदखल करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त में दीगरान् को प्रवेश करवाये, ना ही कब्जा करवाये, तथा प्रतिवादी संख्या 3 भूमि विवादग्रस्त बाबत राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं करें, तथा प्रतिवादी संख्या 4 भूमि विवादग्रस्त बाबत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र या विलेख पत्र को तस्दीक नहीं करें। उपरोक्त समस्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वंय करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमैन, या परिवारजन के द्वारा करवायें।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज [illegible] किया गया, [illegible] की तलबी की गई। अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की ओर [illegible] हमदस्त [illegible] जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया है कि वादी का वाद मिन प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है तथा यदि वादीगण 1/5, [illegible], 1/5 हिस्से के साथ साथ मिन प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के 1/5, 1/5 हिस्से की घोषणा की जाकर तकासमा किया जाता है तो मिन प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 **को कोई आपत्ति एवं एतराज नही है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:25:20 IST
Reason: SelfAttested

हेतु मिन प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 पूर्व में भी तैयार थे, तथा वर्तमान में भी तैयार हैं। अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा राजीनाम मय नक्शा पेश किया गया। पत्रावली में अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा राजीनामे अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर सहमति जाहीर की गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, जवाब, राजीनाम मय नक्शा का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। जिससे वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का उभयपक्ष की सहमति, राजीनामें के आधार पर कानूनन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता हैं तथा वाके ग्राम जैतपुरा, पटवार हल्का जैतपुरा, तहसील चौमूँ, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 240 के हाल खसरा नम्बर 1854 रकबा 0.44 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.44 हैक्टेयर भूमि में प्रत्येक के 1/5, 1/5, 1/5 संयुक्त रूप से वादीगण के 3/5 हिस्से बाबत वादीगण के पक्ष में खातेदारी हक अधिकारों की घोषणा की जाती है। तदनुसार भूमि विवादग्रस्त का राजीनमा मय नक्शा अनुसार तकासमा किया खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल के आदेश दिये जाते है। राजीनामा मय नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री जारी हों। डिकी की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2022 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा सुनाया गया।

(सीमा खेतान कोरी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:25:20 IST
Reason: SelfAttested